न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2020

हिन्दुजा लिलेण्ड फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर राजस्थान

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रैडिटर

बनाम

(1) मैसर्स पालीवाल पेट्रोल पंप
पताः– एन0एच0–14, पाली रोड, बर, ब्यावर, अजमेर 305001
(2) श्री अजीज खान चीता
पताः– बलदेव नगर, सेन्ट स्टेफन स्कुल के पास, माकडवाली रोड, अजमेर
(2) श्रीमती मुन्नी बानो
पताः– बलदेव नगर, सेन्ट स्टेफन स्कुल के पास, माकडवाली रोड, अजमेर
(3) मैसर्स के0जी0एन0 ऐग सप्लायर्स
पताः– बलदेव नगर, सेन्ट स्टेफन स्कुल के पास, माकडवाली रोड, अजमेर 305001
(4) मैसर्स ऐ0के0एफ0 पोल्टी फार्म
पताः– मसूदा रोड, अजमेर

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री भागचन्द शर्मा – अधिकृत प्रतिनिधि

आदेश दिनांक 03.01.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण मैसर्स पालीवाल पेट्रोल पंप एन0एच0–14, पाली रोड, बर, ब्यावर, अजमेर एवं श्री अजीज खान चीता, निवासीः–बलदेव नगर, सेन्ट स्टेफन स्कुल के पास, माकडवाली रोड, अजमेर को दिनांक 01.02.2017 को रूपये 3,00,00,000/–(अक्षरे तीन करोड मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित गॉव लमाना, तहसील पीसांगन जिला–अजमेर स्थित अचल सम्पति खसरा नं0 1368 (पुराना) 1199 (नया), खसरा नं0 1369 (पुराना) 1200 (नया) के भू भाग को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 25.04.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 25.04.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 2,86,33,093/–(अक्षरे दो करोड छीयासी लाख तैंतीस हजार तिरानवे रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक अचल सम्पत्ति गॉव लमाना, तहसील पीसांगन जिला–अजमेर स्थित अचल सम्पति खसरा नं0 1368 (पुराना) 1199 (नया), खसरा नं0 1369 (पुराना) 1200 (नया) के भू भाग का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2020 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner